

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक-587/ मी0क्षे0/ 33 दिनांक, मीरजापुर, अगस्त, 03, 2019
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ:- 1-क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक- 02.07.2019 की कार्यवाही (आर.ई.सी. एजेण्डा आइटम 39-2- यू.पी.)
2-भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./149 दिनांक- 04.07.2019
3-आपका पत्र संख्या- 50/11-सी-एफ0पी0/यू.पी./Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 08 जुलाई, 2019
4-प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग का पत्र संख्या- 335/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 25.07.2019
5-आपका पत्र संख्या- 216/11-सी- FP/UP/IRRIG/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 29.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक- 02.07.2019 व भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 04.07.2019 व आपका संदर्भित पत्र दिनांक- 08.07.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 471/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 02.08.2019 द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख चार प्रतियों में मय संस्तुति सहित निम्न प्रकार इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है :-

S. No.	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक-02.07.2019 का Decision	आख्या
1	2	3
(a)	Detailed compliance of the conditions/recommendation of the committee on different components of the Terms of Reference for transfer of Forest land to the Irrigation Department for purpose of said Irrigation Project have not been submitted by the state government as well as Project Proponent.	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित अभिलेख पूर्व में प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति पुनः इस पत्र के साथ संलग्न ।

(b) Proposal of Compensatory Afforestation on equivalent Non-Forest land against diversion of proposed 127.1637 ha of forest land for canals and subsidiary canals have been submitted by the state government. However, Compliance on issues regarding raising CA on balance 1295 hectare and enrichment planting as recommended by Committee with reference to the order of Hon'ble NGT regarding above said Irrigation project is still awaited. In view of this the Proposal is deferred for the next meeting.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
--	--

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी वांछित सूचना/अभिलेख एतदसह संलग्नकर संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार तीन प्रतियों में।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर 31/8

संख्या- अ/सम दिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके कार्यालय के पत्र संख्या- 471/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 02.08.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर